छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-12

<u>रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016</u>

(फाल्गुन 28, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने व्यक्त किया कि सदन की उच्च परंपराओं एवं संसदीय कार्य निर्बाध गति से संचालित हो। इस दृष्टि से वे कल उनके द्वारा कहे गये शब्दों से कोई पक्ष आहत महसूस कर रहा हो तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं। उन्होंने कहा कि खेद व्यक्त करने में भी उन्हें संकोच नहीं है।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री एवं डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये।

माननीय अध्यक्ष ने उद्गार व्यक्त किये कि सदन में कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिनसे ऐसा लगता है कि सदन का कार्य बाधित हो रहा है, लेकिन इन्हीं सदस्यों की संसदीय कार्य के प्रति अंतर्निहित शक्ति एवं संसदीय कार्य के प्रति भावना के कारण ही फिर सदन यथावत चलने लगता है। यही हमारे छत्तीसगढ़ विधान सभा की उच्च परंपरा है। मैं सभी सदस्यों को उन उच्च परंपराओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12, एवं 14 तथा 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री उमेश पटेल अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 (1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015),
2. श्री अजय चन्द्राकर, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 18 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-4-126/गृह-सी/2014, दिनांक 10 फरवरी, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा नियम, 2015,
3. श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15, तथा
4. श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 **पटल पर रखे।**

4. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से कल की व्यवस्था पर पुनर्विचार कर उसे वापस लेने का आग्रह किया।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल एवं श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने भी इस विषय पर अपनी बातें रखी।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने आसंदी को संबोधित कर कहा कि आपके आदेश का पालन कर मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा उनके द्वारा कहे गये शब्दों को वापस लेने और माननीय सभी वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। निश्चित रूप से उनकी मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके प्रति जो टिप्पणी की गई है, उसका जो भी शब्द होगा, उसके लिए विचार करूंगा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री बृहस्पत सिंह, डॉ.प्रीतम राम, सदस्य ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा गुणवत्ताविहीन कार्य कराये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री भूपेश बघेल, लालजीत सिंह राठिया, मोहन मरकाम, सदस्य ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दवाईयों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री श्रवण मरकाम, सदस्य ने साजा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत नंदवाय में पेयजल की समस्या व्याप्त होने,
2. श्री अरूण वोरा, सदस्य ने दुर्ग जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने, तथा
3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने रायपुर जिला अंतर्गत आरंग जनपद पंचायत में सरपंच द्वारा बैंकों में जमा राशि का गबन किये जाने संबंधी

सूचना पढ़ी ।

7. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, अमरजीत भगत, भोलाराम साहू, सियाराम कौशिक, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), भैयाराम सिन्हा, (डॉ.) प्रीतम राम, गिरवर जंघेल, केशव चंद्रा मांग संख्या-14 सर्वश्री भोलाराम साहू, सियाराम कौशिक, श्रीमती अनिला भेंड़िया मांग संख्या-54 पर श्री सियाराम कौशिक, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री जनकराम वर्मा मांग संख्या-23 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, अरूण वोरा, भोलाराम साहू, श्रीमती अनिला भेंड़िया, सर्वश्री जनकराम वर्मा, मोहन मरकाम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री केशव चंद्रा, भैयाराम सिन्हा, मांग संख्या-40 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, सियाराम कौशिक, भोलाराम साहू, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, मांग संख्या-45 पर श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री जनकराम वर्मा, मांग संख्या-51 पर श्री मोहन मरकाम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी),

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, (डॉ.) खिलावन साहू, भोलाराम साहू, नवीन मारकण्डेय, सियाराम कौशिक, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा, गिरवर जंघेल, देवजी भाई पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्यामलाल कंवर, शिवरतन शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ.प्रीतम राम, श्री कवासी लखमा, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, सर्वश्री केशव चंद्रा, (डॉ.) विमल चोपड़ा, मोहन मरकाम, दलेश्वर साहू, सत्यनारायण शर्मा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज शुक्रवार है, अंतिम ढ़ाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित है। अत: माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से रात्रि 8.00 बजे तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. अशासकीय संकल्प

1. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "प्रदेश की राजधानी रायपुर से बस्तर जिला मुख्यालय, जगदलपुर तक रेल लाईन का विस्तार कर रेल परिचालन प्रारंभ किया जावे।"

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री लखेश्वर बघेल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, नवीन मारकण्डेय, संतराम नेताम, शंकर ध्रुवा।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

9. व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्य का विषय नहीं होने और किसी विषय पर चर्चा हो चुकी हो उस पर दोबारा चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री शिवरतन शर्मा ने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रकरण न्यायालय में होने के कारण संकल्प पर चर्चा नहीं हो सकती।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि अशासकीय संकल्प ग्राह्य किया गया है तो इस पर चर्चा की जा सकती है।

2. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "इंदिरा सागर अन्तर्राज्यीय परियोजना अंतर्गत आंध्रप्रदेश की गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन पोलावरम बांध की ऊंचाई से छत्तीसगढ़ प्रदेश को किसी तरह का नुकसान न हो, अत: बांध का अधिकतम डुबान स्तर 150 फीट रखा जाय।"

श्री अमित अजित जोगी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, रामदयाल उइके, राजेन्द्र कुमार राय।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अशासकीय संकल्प की ग्राह्यता पर पाईंट ऑफ आर्डर के माध्यम से व्यवस्था चाही है, लेकिन किसी नियम को संदर्भित नहीं किया है। मैं उनकी आपत्ति अस्वीकार करता हूं। जहां तक न्यायाधीन होने संबंधी माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा जी की आपत्ति है, पूर्व में भी यह विषय सदन में चर्चा हेतु आ चुका है, अत: अब ये आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

11. अशासकीय संकल्प (क्रमश:)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 7.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 2016 (फाल्गुन-29, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा